महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय,बीकानेर

जैसलमेर रोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, बीकानेर

तकनीकी बिड

निविदा क्रमांक :– 10497 दिनांकः– 31/10/2026

कार्य का नाम :– विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों एवं परिसर की साफ–सफाई कार्य हेतु द्वि–वार्षिक दर संविदा।

आवश्यक टिप्पणी :– निविदादाता निविदा में अपनी दर देते समय इन शर्तों को ध्यान पूर्वक पढें।

1. ऑनलाइन निविदा प्रपत्र/बिड डॉक्यूमेंट मिलने की (डाउनलोड करने की समयावधि)
 02-11-2026 सांय 05:00 बजे 16-11-2026 को पूर्वान्ह 12:00 बजे तक।
2. ऑनलाइन निविदा प्रपत्र/बिड डॉक्यूमेंट अपलोड करने की समयावधिः–
 06-11-2026 सांय 05:00बजे से 16-11-2026को अपराह्नः 1:00 बजे तक।
3. ऑनलाइन निविदा प्रपत्र की तकनीकी बिड के खोलने की तिथि व समयः–.
 को अपराह्न :03:00 बजे से।

निविदादाता/फर्म का नाम :–

1. निविदादाता का पता :–

2. मोबाईल/दूरभाष नः–

3. निविदा शुल्क एवं ई–निविदा शुल्क : डी.डी/रसीद संख्या दिनांक.....
4. GST प्रमाण पत्र : –
5. श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत :– क्रमांक.....दिनांक.....
 (सत्यापित प्रति अपलोड करे, श्रम विभाग में पंजीकरण के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी)
6. ऊपर प्रस्तुत की गई दरें दो वर्ष के लिए विधि मान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर नियमानुसार बढाया भी जा सकेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

कार्य का नाम :– विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों एवं परिसर की साफ–सफाई कार्य हेतु द्वि–वार्षिक निविदा।

निविदा प्रपत्रः

1. निविदादाता/फर्म का नाम :
2. निविदादाता का पता :
.....
3. मोबाईल /दूरभाष न. :
4. सेवा का प्रकार :–

कार्य का विवरण	
कुलगुरू सचिवालय, प्रशासनिक भवन, परीक्षा भवन, नवीन परीक्षा भवन (गोपनीय), एकेडमिक भवन प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ, तथा निर्माणाधीन अकादमिक भवन पंचम एवं 'षष्ठम्, अतिथि–गृह, कैंटीन, संपदा अधिकारी कार्यालय, छात्र संघ कार्यालय, खेलकूद भवन, लाइब्रेरी, कुलगुरू निवास, कुलसचिव निवास, महिला छात्रावास, पुरूष छात्रावास, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, छात्र परामर्श केन्द्र, Central Facility for Research,Examination Cente ,Central Classroom (science), Central Classroom (Arts), Toilet Block Both Side of Velodrome, Toilet Block (Main Gate) **उक्त समस्त परिसरों व प्रत्येक भवन के रख–रखाव के अतिरिक्त सड़क सहित समस्त विश्वविद्यालय परिसर की साफ–सफाई का कार्य।**	विश्वविद्यालय के समस्त भवनों व आवासों में प्रतिदिन सफाई करनी होगी, जिस हेतु फर्म को न्यूनतम 37 अकुशल सफाई श्रमिक, अतिरिक्त आवश्यकतानुसार व 01 सफाई सुपरवाईजर जो कि कुशल हो उपलब्ध करवाना होगा। विश्वविद्यालय आवश्यकता अनुसार श्रमिकों की संख्या घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है।

5. विश्वविद्यालय को उपलब्ध करवाये जाने वाले अकुशल श्रमिकों व कुशल सुपरवाईजर को राज्य सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से 26 दिनों का भुगतान किया जायेगा, श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा तय ईपीएफ, ईएसआइ व जीएसटी का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा फर्म को चालान प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।
6. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केंन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का होगा।
7. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (फर्म द्वारा स्वयं के लेटर हैड पर पंजीकरण करने की जिम्मेदारी के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि विश्वविद्यालय को आवश्यकता महसूस हुई तो कार्यादेश मिलने वाली फर्म का पंजीकरण उक्त अधिनियम के तहत करवा सकती है।) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 के अंतर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के पंजीकरण प्रमाण–पत्र को छोडकर अन्य पंजीकरण प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि अपलोड करनी होगी।
8. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा।
9. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का ही होगा।
10. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर विश्वविद्यालय

Kuldeep Jain

द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

11. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ईपीएफ एवं ईएसआई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ईपीएफ और ईएसआई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
12. संवदेक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर जीएसटी की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा कराने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये जीएसटी के चालान की प्रति आगामी बिल के साथ अनिवार्य रूप से सलग्न करनी होगी। गत माह की चालान प्रति जमा करवाने पर ही जीएसटी का भुगतान किया जायेगा।
13. श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमो व अधिसूचनाओं तथा केंन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता हैं तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
15. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
16. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ईएसआई करवाने/सामुहिक बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
17. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान श्रमिकों को नहीं किये जाने की पुष्टि होती हैं तो विश्वविद्यालय द्वारा संवेदक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
18. निविदा की शर्तों के संबंध में कोई सुझाव हो तो दिनांक 05/11/26 समय 05:00 PM तक अपने सुझाव स्टोर अनुभाग की ई मेल Storemgsu@gmail.com पर फर्म के लैटर हैड पर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त कोई सुझाव स्वीकार नहीं किया जावेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

कार्य का नाम :– विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों एवं परिसर की साफ–सफाई कार्य हेतु द्विवार्षिक निविदा।

तकनीकी रूप से पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यताएं

1. श्रम विभाग में श्रमिक सेवा हेतु पंजीकृत फर्में ही निविदा में भाग ले सकेगी। प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करनी अनिवार्य होगी।
2. फर्म का पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2023–24, 2024–25 एवं 2025–26) में न्यूनतम औसत वार्षिक टर्न ओवर निविदा की राशि के 50 प्रतिशत होना आवश्यक हैं। नियमानुसार सी.ए. द्वारा अंकेक्षित टर्नऑवर की प्रति सलग्न करनी आवश्यक हैं। बिना उक्त टर्नऑवर प्रमाण पत्र के निविदा स्वीकार्य नहीं होगी। प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करनी अनिवार्य होगी।
3. निविदा में भाग लेने वाली फर्म के पास गत तीन वित्तीय वर्षों (2023–24, 2024–25 एवं 2025–26) में निविदा की अनुमानित राशि के न्यूनतम 25 प्रतिशत के बराबर औसत वार्षिक साफ–सफाई सेवा/कार्य का न्यूनतम कार्यानुभव/सेवानुभव होना आवश्यक हैं। साफ सफाई की सेवा/कार्य राजकीय/केंन्द्रीय विभाग/स्वायत्तशाषी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में संपादित किया होना चाहिए। बिना अनुभव प्रमाण पत्र (राशि का उल्लेख अनिवार्य हैं) के निविदा स्वीकार्य नहीं होगी। प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करनी अनिवार्य होगी।
4. कालीसूची (BLACK LISTED) नहीं होनें का शपथ पत्र रू. 50/– के स्टाम्प पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
5. 'अनुलग्नक–ब' पर 50 रू नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प के शपथ पत्र पर घोषणा करनी होगी।
6. निविदा की समस्त शर्तों की पालना हेतु शपथ पत्र रू. 100/– के स्टाम्प पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
7. जीएसटी प्रमाण पत्र, ईपीएफ पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं ईएसआई पंजीकरण प्रमाण पत्र अपलोड करने अनिवार्य होगे।
8. ठेकेदार सफाई के कार्य का ठेका अन्य किसी दूसरी फर्म/व्यक्ति को सबलेट नहीं कर सकेगा।
9. धरोहर राशि रू./–, निविदा फीस रू./– का (**वित्त नियंत्रक,** महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पक्ष में बीकानेर में देय) व ई–प्रोसेसिंग फीस रू./– (MD, RISL, Jaipurको जयपुर में देय) के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के माध्यम से तय अवधि तक विश्वविद्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग में जमा करवानें होंगे।
10. गत वर्षो का संवेदक को अपने पूर्व में किये/चल रहे कार्यो के लिये नियोजित श्रमिकों की कटौती/अंशदान का दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. सम्पूर्ण निविदा प्रपत्रों एवं संवेदकों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले सभी दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रति (मय फर्म/संस्था की सील) अपलोड करनी होगी।

उपरोक्त में से किसी के भी अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी तथा तकनीकी पात्र फर्मों की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।

विश्वविद्यालय के भवनों एवं समस्त परिसर के साफ–सफाई कार्य हेतु आमंत्रित निविदा के प्रतिबंध एवं शर्तें

1. सफल ठेकेदार को निविदा स्वीकृति के 15 दिवस में निविदा राशि की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभुति राशि के रूप में आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय कोष में जमा करवानी होगी, संवेदक के अनुरोध पर धरोहर राशि का प्रतिभूति राशि में समायोजन किया जा सकेगा। प्रतिभूति राशि अनुबंध संतोषप्रद ढंग से सम्पादित होने की स्थिति में अनुबंध अवधि की समाप्ति की तिथी से दो माह पश्चात लिखित प्रार्थना पत्र पर लौटाई जा सकेगी। प्रतिभूति राशि पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। कार्य के दौरान ठेके की शर्तों का उल्लघन करने पर निविदादाता के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। कार्य के दौरान निरन्तर शर्तों का उल्लघन करने पर अनुबंध समाप्त कर अन्य फर्म को कार्यादेश देने या अन्य फर्म से कार्य करवाने पर विश्वविद्यालय को हुई हानि संबधित संवेदक से वसूल की जाएगी एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।
2. प्रतिभूति निक्षेप को समपहरण–प्रतिभूति की रकम या निम्नलिखित प्रकरणो में पूर्णतः समपहरण किया जा सकेगा।
 (क) जब संविदा के किसी निबंधन और शर्तों को भंग किया जाता है।
 (ख) जब निविदादाता संतोषप्रद रूप से पूर्ण प्रदाय करने में विफल रहता है।
 (ग) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले मे उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा इस संबंध में **विश्वविद्यालय का** निर्णय अंतिम होगा।
3. प्रीमियम एवं सामग्री की दरें समान पाये जाने की स्थिति में तकनीकी बिड में गत तीन वित्तीय वर्षो (2023–24, 2024–25 एवं 2025–26) में सर्वाधिक राशि का टर्नऑवर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाली फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी। निविदादाताओं को सीए द्वारा नियमानुसार यूडीएन नंबर सहित टर्नऑवर प्रमाण पत्र तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करना होगा।
4. निविदा हेतु अपलोड किये गए दस्तावेजों पर किसी प्रकार की काट–छांट नही होनी चाहिए। किसी कारण काट–छांट की गई तो उस पर पूरे हस्ताक्षर ठेकेदार के होना आवश्यक है अन्यथा उसके अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
5. निविदा में निविदादाता द्वारा कोई शर्त अंकित नहीं की जाएगी एवं शर्त युक्त निविदा निरस्त योग्य होगी।
6. निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को हैं।
7. अनुबंध की अवधि दो वर्ष के लिए मान्य होगी। जिसे परस्पर सहमति से नियमानुसार बढाया जा सकता है।
8. सेवा के दौरान हुई किसी भी हानि, चूक, एवं भूल क्षतिपूर्ति एवं कानूनी दायित्वों का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। हानि की राशि ठेकेदार के भुगतान से काट ली जाऐगी।
9. निम्न कारणों से ठेकेदार द्वारा प्रदत धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी :–
 (क) आदेशित सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर।
 (ख) निविदादाता द्वारा निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकृत करने से पूर्व प्रस्ताव वापिस लेने अथवा उसमें परिवर्तत करने पर।
 (ग) निर्धारित समय के भीतर अनुबंध नहीं करने पर।
 (घ)निर्धारित अवधि में प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराने पर।

10. सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार रू. 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य आदेश के 15 दिवस में तय अवधि करार पत्र निष्पादन करना होगा।

11. विश्वविद्यालय के प्रत्येक भवन में आवश्यक सामग्री प्रत्येक भवन एवं भवन के बाथरूम में निम्नलिखित वर्ष पर्यन्त (मासिक/आवश्यकतानुसार) उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सफाई से सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध नहीं रहने पर सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी से शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित सामग्री की बाजार मूल्य के अनुसार एक माह में उपभोग होने वाली सामग्री के बराबर राशि की कटौती की जावेगी तथा नियमित रूप से सामग्री उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार निर्धारित की जाने वाली शास्ती देय होगी। विश्वविद्यालय के सफाई कार्य के लिए निःशुल्क पानी की व्यवस्था सामान्यतः विश्वविद्यालय द्वारा की जाती है, परन्तु किन्ही कारणों से यदि पानी की उपलब्धता नहीं होने पर, निविदादाता को अपने स्तर से पानी की व्यवस्था कर सफाई का कार्य करवाना होगा, जिसके लिए अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा। विश्वविद्यालय को आवश्यकता होने पर अनुभव प्रमाण पत्रों का संबंधित विभाग/संस्थाओं से प्रमाणित करवाया जायेगा, जो अनुभव प्रमाण पत्र गलत पाया जायेगा, उस निविदादाता के विरूद्ध विश्वविद्यालय द्वारा उपापन नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

12. विश्वविद्यालय में स्थित सभी शौचालय में हैंड वॉश, टॉयलेट साबुन, कपूर गोली, ऑडोनिल, फर्म द्वारा उपलब्ध करवानी होगी साथ ही सेमीनार, दीक्षान्त समारोह, अन्य कार्यक्रमों में कार्यक्रम स्थल पर **वेक्युम मशीन/Road cleaning machine,** अन्य सफाई उपकरण भी उपलब्ध करवाने होंगे, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

13. विश्वविद्यालय के टायलेटों की सफाई मैकेग्नाईज्ड प्रेशर जेट मशीन से करनी होगी।

14. विश्वविद्यालय में स्थित भवनो की गैलरियों की सफाई सप्ताह में एक बार मैकेग्नाईज्ड मशीन से करनी होगी

15. टायलेट क चेंम्बर तथा विश्वविद्यालय के समस्त चैम्बर के अन्दर व बाहर साथ ही पाईप लाईन ब्लाकेज आने पर आवश्यक सफाई कार्य सम्बन्धित फर्म द्वारा ही सम्पादित किया जायेगा।

16. विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए भवनो एवं सडकों के सफाई कार्य की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी जिसके लिए निर्देशानुसार अतिरिक्त सफाई कर्मचारी लगवाकर इस कार्य को सम्पादित करने का पूर्ण दायित्व संवेदक का होगा। इस कार्य के लिए पृथक से विश्वविद्यालय द्वारा कोई भुगतान देय नहीं होगा।

17. संवेदक को विश्वविद्यालय भवनों एवं परिसर में पूर्ण रूप से स्वच्छता रखनी होगी। प्रत्येक भवन के एवं सभी कक्षों में फिनाइल सहित पौछा लगाना आवश्यक होगा। प्रतिदिन टायॅलेटस् की विशेष रूप से हार्पिक, फिनाइल आदि के द्वारा सफाई करनी होगी।

18. निविदादाता को माह में एक बार स्वयं के स्तर पर निरीक्षण करना होगा। जिसकी रिपोर्ट सामान्य प्रशासन अनुभाग को प्रस्तुत करनी होगी। रिपोर्ट का सत्यापन सामान्य प्रशासन अनुभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा जो भी निर्देशानुसार/सुझाव दिया जायेगा, उसकी तत्काल पालना करनी होगी।

19. संवेदक द्वारा माह में एक दिन प्रत्येक भवन के चारों तरफ से झाडियां काटकर सफाई करना अनिवार्य होगा तथा काटी गई झाडियों का उचित निस्तारण करना होगा। साथ ही माह में कम से कम एक बार विश्वविद्यालय की समस्त सडकों की भी सफाई करना अनिवार्य होगा।

20. कार्य स्थल/भवन अनुसार सफाई कर्मियो की सूची उपलब्ध करवानी होगी। विश्वविद्यालय परिसर में एक सफाई सुपरवाईजर रोजाना प्रातः 8:00 बजे से सांय 3:00 बजे तक उपलब्ध रहेगा एवं प्रत्येक भवन में सफाई हेतु कम से कम एक कर्मचारी सुपरवाईजर के निर्देशन में प्रातः 8:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक नियमित रूप से उपस्थित रह कर कार्य करेगा।

21. सफाईकर्मियों का ठेकेदार द्वारा आने जाने की उपस्थिति पंजिका का संधारण करना होगा। जिसका निरीक्षण कभी भी विश्वविद्यालय के संक्षम अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा। प्रत्येक भवन हेतु उक्त कर्मचारी नियमित रूप से उपस्थित रह कर विश्वविद्यालयो के अधिकारियों द्वारा निर्देशित कार्य का सम्पदान करेगा। जिनके प्रमाणीकरण के पश्चात ही बिल का भुगतान किया जायेगा। उक्त शर्त के उल्लंघन में निविदा निरस्त करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।
22. अनुमादित फर्म को कार्यालय आदेश/अनुबंध करते समय यह निर्देशित किया जाना है कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सफाई व्यवस्था हेतु फर्म को कुलसचिव/वित्त नियंत्रक/सम्पदा अधिकारी/सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेशित संख्या के अतिरिक्त सफाई कर्मचारी लगवाकर कार्यक्रम के निर्धारित समय से दो घंटे पूर्व प्रभारी अधिकारी के निर्देशन में सफाई व्यवस्था मय आवश्यक सामग्री सुनिश्चित करनी होगी। जिसका किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा देय नहीं होगा। उक्त व्यवस्था में प्रभारी अधिकारी सम्पदा अधिकारी द्वारा असंताषप्रद टिप्पणी सामान्य प्रशासन विभाग को प्राप्त होने पर मासिक बिल में अनुपातिक रूप से उस दिवस का भुगतान काट लिया जाएगा तथा कुलगुरु महोदय के निर्णयानुसार निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
23. सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले लिखित/मौखिक निर्देशों की पालना संवेदक को करनी होगी।
24. दर संविदा की अवधि के दौरान विवादास्पद स्थिति में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम एवं संवेदक को मान्य हेागा।
25. संवेदक द्वारा लगाये गये सफाई कर्मचारियों को नियमित रूप से साफ–सफाई का कार्य करना होगा। यदि विश्वविद्यालय में कोई आयोजन या समारोह रविवार को होता हैं तो उक्त दिवस को भी विश्वविद्यालय में साफ–सफाई करनी होगी, साथ ही कुलगुरू व कुलसचिव आवास की साफ–सफाई माह के प्रत्येक दिवस को करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में अथवा कारण से साफ–सफाई कार्य बंद नही किया जा सकेगा। संवेदक और सफाई कर्मचारियों के बीच विवाद की स्थिति हो जाने पर भी संवेदक को अन्य सफाई कर्मचारी की सहायता से सफाई कार्य यथा समय पर कराना होगा। प्रति शिकायत राशि 500/रू की कटौती शिकायत की पुष्टि होने पर मासिक बिल से की जायेगी। सफाई नहीं होने की स्थिति में ऐसे दिवसों का भुगतान नहीं होगा और बिल से अनुपातिक राशि की कटौती संवेदक को देय राशि मे से की जाएगी, जिसमें पर्याप्त राशि नहीं होती हैं तो संवेदक को पेनेल्टी राशि अग्रिम विश्वविद्यालय कोष में जमा करवानी होगी। अग्रिम पेनेल्टी जमा की पुष्टि पश्चात ही बिल का भुगतान किया जायेगा।
26. सफाई के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना या उनके द्वारा सफाई हेतु लगाये गये सफाई कार्मिकों द्वारा की गयी चोरी, आग, दुराचरण एवं क्षति आदि की क्षतिपूर्ति के लिये संवदेक जिम्मेदार होगा।
27. संवेदक द्वारा सप्ताहिक कार्य संपादित कर प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को सभी भवन प्रभारियों और सह प्रभारियों द्वारा कार्य पुष्टिकरण बाबत रिपोर्ट प्राप्त करते हुये मासिक बिल भण्डार अनुभाग में भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा।
28. समस्त विधिक कार्यवाही का क्षेत्र बीकानेर शहर में स्थित न्यायालय ही होगा।
29. अनुबंन्ध की शर्तों के अनुरूप यदि सेवाएँ सन्तोषप्रद नहीं रही तो सात दिवस का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त कर दिया जाऐगा और धरोहर/प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
30. उक्त शर्तों के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो राज्य सरकार के सामान्य वितीय एवं लेखा नियमों व RTPP Act तथा Rules की शर्ते इस निविदा पर लागू होगी।

निविदा की स्वीकृति, अनुबंध एवं प्रतिभूति राशि :–

(i) किसी भी निविदा को स्वीकार करने में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के लिए आवश्यक नहीं है कि वह न्युनतम दर की निविदा हो।

(ii) विश्वविद्यालय के पास निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। जिस सेवा के लिए निविदा की गयी है, उनकी पूर्ण मात्रा या उसके किसी भाग के लिए विश्वविद्यालय की ईच्छानुसार आदेश दिए जा सकते हैं तथा विशेष परिस्थिति में सेवा की विश्वविद्यालय में नियमानुसार वृद्धि एवं कमी की जा सकती है।

(iii) सफल निविदादाताओं को अपने खर्चे पर निविदा स्वीकार करने की सूचना जारी होने के 15 दिवस में निम्नानुसार कार्यवाही करनी होगीः–

01 जिसमें निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार निर्धारित राशि 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार निष्पादित करना होगा।

02. संविदा के यथावत क्रियान्विती के लिए प्रस्तावित कार्यादेश के मूल्य के 5 प्रतिशत बराबर प्रतिभूति राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफडीआर (कुलसचिव महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के नाम बीकानर में देय) द्वारा 15 दिवस में जमा करानी होगी। यदि निविदादाता विहित कालावधि में प्रतिभूति राशि जमा कराकर करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने को निबंधनों तथा शर्तों का भंग होना माना जाएगा एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। तदुपरान्त बिना नोटिस अन्य निविदादाताओं को क्रय आदेश देने का अधिकार होगा। प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग इकाई को शर्ते संख्या 2 के (iii) वर्णित सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर सफल निविदादाता को नियमानुसार छूट दी जावेगी। प्रतिभूति राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

03. निबंधनों तथा शर्तों को भंग करने या संविदा को असंतोषप्रद ढ़ंग से पूरा करने पर क्रेता अधिकारी द्वारा पूर्णतः या अंशतः प्रतिभूति राशि जब्त करली जावेगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय का विनिश्चय ही अंतिम होगा।

04. प्रतिभूति राशि बिलों का अंतिम भुगतान हो जाने एवं समस्त संबंधितों से संतोषप्रद कार्य की सूचना प्राप्त होने एवं संविदा की कार्यावधि पूर्ण होने के पश्चात् के धरोहर/प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी, ऐसी प्रतिभूति राशि पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।

05. धरोहर राशि अथवा प्रतिभूति राशि का विप्रेक्षण व्यय (रिमिटेंस चार्जेज) संविदादाता द्वारा वहन किए जाऐंगे।

31. भवन प्रभारीयों द्वारा प्राप्त असंतोषप्रद टिप्पणी के आधार पर अनुपातिक रूप से प्रति दिवस प्रति भवन की भाास्ति प्रेषित बिल में से काटकर भुगतान की आगामी कार्यवाही की जायेगी।

32. कार्य की प्रकृति के आधार पर लागू होने वाले समस्त नियम–कानूनों की पालना संवेदक को करनी होगी।

33. संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को माननीय कुलपति को भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

34. समस्त विधिक कार्यवाही का न्याय क्षेत्र बीकानेर होगा।

35. संवदेक द्वारा समस्त प्रपत्र व निविदा प्रपत्र स्वप्रमाणित अपलोड करने होंगे।

36. किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो, स्वीकृत करने किसी भी निविदा के बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने और किसी भी निविदा को रद्द करने के समस्त अधिकार, उपापन निविदा में वाछिंत प्रपत्रों को स्कैन कर अपलोड करना आवश्यक होगा।

37. निविदा ई–प्रोक्योरमेंट साइट से डाउनलोड कर, हस्ताक्षर करके मय आव यक प्रपत्रों के स्कैन कॉपी स्कैन करके ई–प्रोक्योरमेंट साइट पर उपलब्ध करवानी होगी व वितीय बिड इसी साईट उपलब्ध वितिय बिड भीट में ऑनलाईन अंकित करनी होगी।

38. विश्वविद्यालय की वेबसाइट व स्टेट पोर्टल sppp पर भी निविदा डाउनलोड/अपलोड नहीं की जा सकेगी। उक्त दोनों वेबसाइट पर निविदा प्रपत्र मात्र अवलोकनार्थ डाले गये है।
39. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्ते एवं उपरोक्त बिन्दुओं को पढकर हस्ताक्षर कर दियें है। हम इनका पूर्ण रूप से पालन करने के लिए सहमत है।
40. प्राप्त निविदाओं या उनकी दरों तथा अन्य शर्तों को मानने या न मानने का अंतिम अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।
41. वित्तीय बिड को स्केन करके अपलोड नहीं किया जाना है। भौतिक रूप से निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता

मैसर्स.....

वित्तीय प्रपत्र प्रारूप :

क्र. सं	सेवा का नाम	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित श्रेणी व संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति श्रमिक दर (प्रति दिन) श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरो से कम मान्य नहीं होगी।	ईपीएफ दर मासिक प्रति श्रमिक राशि रू. (राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर)	ईएसआई दर मासिक प्रति श्रमिक राशि रू. (राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज (प्रति श्रमिक मासिक न्यूनतम 01 रू. से कम नहीं होगा)	सामग्री राशि/ उपकरण किराया तथा सेनैटरी सामग्री की दरें जीएसटी सहित मासिक प्रस्तुत करनी होगी)	कुल राशि रू.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	सफाई अकुशल श्रमिक	37	285					—	—
B	सफाई कुशल सुपरवाईजर	01	309					—	—
C	सेनैटरी सामग्री	NA	NA	NA	NA	NA	NA	---	—
	योग								

वित्तीय बिड एक्सेल सीट में बीओक्यू के निर्धारित स्थान क्रम संख्या **A व B** के कॉलम संख्या 5 से 8 तक दरें भरकर कॉलम संख्या 10 में योग अंकित करना होगा। क्रम संख्या C के कॉलम संख्या 9 में दरें भरकर कॉलम संख्या 10 में योग अंकित करना होगा, क्रम संख्य A,B व C तीनों को मिलाकर कॉलम संख्या 10 में जिन दरों का योग प्राप्त होगा, उन्हीं दरों के आधार पर न्यूनतम दरदाता का निर्णय किया जायेगा।

नोटः–*उपरोक्त प्रारूप केवल उदाहरण स्वरूप है, दरें बीओक्यू के एक्सेल में निर्धारित वित्तीय बिड में ही भरनी हागी। उक्त प्रारूप तकनीकी बिड में दरें भरकर अपलोड करने पर निविदा अमान्य होगी।

*सेवाप्रदाता द्वारा सफाई श्रमिकों/सेनैटरी सामग्री/उपकरणों सहित दरें देनी होगी साथ ही श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगी।

अनुलग्नक–"अ"

सत्यनिष्ठा की संहिता

उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा;

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा; हित का विरोध

हित का विरोध

कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है;

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

अनुलग्नक "ब"

निविदादाता द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र

आप द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक.....दिनांक.....के तहत मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा के संदर्भ में हम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शीता अधिनियम, 2012 के खंड 7 के अतंर्गत यह घोषणा करते है कि

01. मै/हम निविदा दस्तावेजों के अनुसार वांछित अनुभव, तकनीकी, वित्तिय, प्रबंधकीय संसाधन की सक्षमता रखते है।
02. मै/हम निविदा अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य स्थानीय अधिकार को कर चुकाने बाबत दायित्व लेते है।
03. मैं/हम ना ही दिवालिया घोषित किया गया है, तथा ना ही मेरी/हमारी फर्म के विरुद्ध न्यायालय/न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही प्रकियाधीन है।
04. मैं/हम तथा हमारे निदेशक/अधिकारियों द्वारा निविदा प्रकिया के दौरान गत तीन वर्षें में किसी प्रकार का कोई अपराध संबंधी मामला दर्ज नहीं है तथा किसी भी निविदा प्रकिया से निष्कासित नही किया गया है।
05. मै/हमारे द्वारा अधिनियम, नियमों के संदर्भ में किसी प्रकार के हित का कोई विरोध नहीं है जो कि उचित प्रतियोगिता को प्रभावित करता हो।

स्थान :
तारीख :

निविदादाता के हस्ताक्षर

अनुलग्नक "स"

निविदा प्रकिया के दौरान शिकायत निवारण

प्रथम अपीलय अधिकारी का पद एवं पताः कुलगुरू महाराजा गगांसिंह विश्वविद्यालय जैसलमेर रोड, बीकानेर

द्वितीय अपीलय अधिकारी का पद एवं पताः– शासन सचिव, उच्च शिक्षा, जयपुर।

1. यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लंघन में हे तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिये पदभिहित किये जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुये, ऐसे विनिश्चिय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारिख से 10 दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व –अर्हता दस्तावेजो या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगाः

परन्तु धारा 27 के निबन्धनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहीयों में भाग लिया हैः

परन्तु यह और की ऐसी दशा में उपापन संस्था वितिय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मुल्यांकन करती है, वहा वितिय बोली के मामले से सबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

1. अधिकारी, जिसके समक्ष उपधारा – 1 के अधीन अपील दाखिल की गयी, है अपील पर यथासंभव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करनी की तारिख से 30 दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।
2. यदि उपधारा 01 के अधीन पदभिहित अधिकारी उपधारा 3 में विनिदिष्ट अवधि के भीतर उक्त उपधारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश से व्यथित हे तो बोली लगाने वाला या, या भावी बोली लगाने वाला या यथास्थिति उपापन संस्था, उपधारा 3 में विनिदिष्ट अवधि के आवासन से या, यथास्थिति उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारिख से 15 दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितिय अपील दाखिल कर सकेगा।
3. धारा 38 के अधीन उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलो से संबंधित किसी विनिश्चय के विरूध कोई अपील नहीं होगा।

 अर्थातः

 क: उपापन की आवश्यकता का अवधारण
 ख बोली प्रकिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध
 ग. यह विनिश्यक की निबंधनो में बातचीत की जाये या नहीं
 घ. निबन्धनों में उपापन प्रकिया का रद्दकरण
 ड. गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना।
4. **अपील का प्ररूप**.– (1) धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

 (2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

 (3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

5. **अपील फाइल करने के लिए फीस.–**

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

6. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया.–**

(1) प्रथम अपील प्राधिकारीया, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्ररूप सं. 1

(नियम 83 देखिए)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

..... की अपील सं.

(प्रथम/द्वितीय अपील प्राधिकारी) के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां :

(1) अपीलार्थी का नाम :.....

.....

(2) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :.....

....

(3) आवासिक पता :

2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :

(1)

(2) .

(3)

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरूद्ध अपील की गयी है और अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है :

4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :

5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्या :

6. अपील का आधार :

.....

.....

.....

..... (शपथपत्र द्वारा समर्थित)

7. प्रार्थना :

.....

.....

स्थान :

तारीख :

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक "द"

निविदा की अतिरिक्त शर्तें

1. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार

बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर,सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियो का सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे योग में सुधार किया जायेगा ; और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

2. **किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार**.– उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

परिमाण में परिवर्तन का अधिकार.–

(1) संविदा के अधिनिर्णयके समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।

(2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी –

(क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 20 प्रतिशत और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।

3. . अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन.– सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी हैं या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

रुपए -/100के नॉन -जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर निविदादाता द्वारा जाने वाला शपथ पत्र

समस्त शर्तों का पूर्णतः अध्ययन कर समझ लिया है एवं मुझे समस्त शर्तें स्वीकार है। मैं यह सब कार्य पूर्ण होश हवास एवं पूरी जानकारी प्राप्त करके करके कर रहा हूँ और यह सनद रहें एवं इसमें किसी प्रकार की अपूर्णता घोषणा का पालन नहीं किया जा रहा है तो/त्रुटी पाई जाती है/मेरी फर्म पूर्णतया जिम्मेदार होगी, जिसके लिए वैधानिक कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा की जाती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर एवं दिनांक